न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

राजस्व वाद संख्या :– 46/2016

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
उँकारसिंह पुत्र बुधसिंह जाति राजपूत निवासी हुणगांव खुर्द हाल धापी मार्बल रामदेवनगर बनाड रोड जोधपुर		1. नरपतसिंह 2. श्रवणसिंह पिसरान बुधसिंह 3. गुलाबकंवर पत्नी शेरसिंह पुत्री बुधसिह जाति राजपूत निवासी पिचियाक तहसील बिलाडा 4. कैलाश कंवर पत्नी प्रतापसिंह पुत्री बुधसिंह जाति राजपूत निवासी नान्दडी रामदेवनगर जोधपुर 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा 6. सरकार जरिये सब रजिस्ट्रार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट
बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– वादी की ओर से श्री नारायणसिंह सोढा एडवोकेट।
प्रतिवादी संख्या–1 व 2 की ओर से श्री रखाराम चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 3 व 4 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद चौहान एडवो.।
प्रतिवादी सख्या–5 व 6 सरकारी पेरोकार

निर्णय **दिनांक :–** 27/08/24

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हुणगांव खुर्द में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की पैतृक कृषि भूमि ग्राम हुणगांव खुर्द में आई हुई है। जिसका विवरण निम्न है खसरा नंबर 32/1 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 32/12 रकबा 07 बीघा, खसरा नंबर 34/12 रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 35/2 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 36/4 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 37/1 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 37/11 रकबा 18 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 38/3 रकबा 26 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 42 रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 62 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरा 10 कुल रकबा 137 बीघा 14 बिस्वा स्थित है । उक्त वादग्रस्त

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

भूमि वादी व प्रतिवादीगण के पिता से प्राप्त कृषि भूमि है वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 प्रत्येक का 1/5 हक हिस्सा निहित है एवं इसी अनुसार वादी अपनी कृषि भूमि का बंटवाडा करवाना चाहता है, जिस हेतु प्रतिवादी सं. 1 व 2 को आग्रह करने के बावजूद भी बंटवाडा करवाने हेतु सहमत नही हुए व उक्त प्रतिवादीगण ने दिनांक 01.07.2016 को वादी को उक्त भूमि का बंटवाडा करने से मना कर दिया एंव धमकी दी कि वादी को उसके हिस्से की भूमि पर काश्त कार्य नही करने देंगे। वादी द्वारा अपने रहवासीय प्लॉट में मकान का निर्माण कार्य करवाया तो उक्त प्रतिवादीगण ने अब निर्माण कार्य भी रूकवा दिया एवं मजदूरों को भी निर्माण कार्य नहीं करने देते है। जिस कारण जो मकान निर्माण किया गया एवं जिसकी छत व प्लास्टर नहीं करने से बरसात के मौसम में उक्त मकान के गिर जाने की पूरी संभावना है प्रतिवादी सं. 5 व 6 औपचारिक पक्षकार है एवं तहसीलदार भूमिधारी होने के कारण एवं वाद बंटवाडा का होने के कारण राजस्व लगान निर्धारण हेतु पक्षकार बनाये गये है व सब रजिस्ट्रार को वादग्रस्त भूमि वाद विचारण के दौरान बैचान, रहन नहीं करने हेतु पक्षकार बनाये गये है। अन्त में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जावे जिसमें भूमि की किस्म , रास्ता एवं भूमि की उपजाउपन को ध्यान में रखते हुए बंटवाडा करवाया जावे, जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा अलग किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का दावा दिनांक 08.06.2022 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम हुणगांव खुर्द तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 32/1 रकबा 1.0841 हैक्टयर, खसरा नंबर 32/12 रकबा 1.1326 हेक्टयर, खसरा नंबर 35/2 रकबा 0.8656 हैक्टयर, खसरा नंबर 36/4 रकबा 1.6989 हैक्टयर, खसरा नंबर 37/1 रकबा 2.0225 हैक्टयर, खसरा नंबर 37/11 रकबा 2.9448 हैक्टयर, खसरा नंबर 37/12 रकबा 3.6810 हैक्टयर, खसरा नंबर 38/3 रकबा 4.2715 हैक्टयर, खसरा नंबर 42 रकबा 3.1794 हैक्टयर, खसरा नंबर 65 रकबा 1.3996 हैक्टयर का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिटस बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर वादी के 1/3 हिस्से की भूमि व प्रतिवादी सं. 1 के 1/3 हिस्से की भूमि एवं प्रतिवादी सं. 2 के 1/3 हिस्से की भूमि का बंटवाडा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1	उँकारसिंह पुत्र बुधसिंह राजपूत सा.देह खातेदार	32/1 32/12 35/2 36/4 37/1 37/11 37/12 38/3 42 65	0.3506 0.3694 0.2778 0.5663 0.6742 0.9816 1.227 1.4238 1.0598 0.4666
	कुल योग	10	7.3971
2	नरपतसिंह पुत्र बुधसिंह राजपूत सा.देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा बिलाडा	32/1 32/12 35/2 36/4 37/1 37/11 37/12 38/3 42 65	0.3506 0.3694 0.2778 0.5663 0.6741 0.9816 1.2270 1.4239 1.0598 0.4666
	कुल योग	10	7.3970
3	श्रवणसिंह पुत्र बुधसिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा बिलाडा	32/1 32/12 35/2 36/4 37/1 37/11 37/12 38/3 42 65	0.3506 0.3695 0.2777 0.5663 0.6742 0.9816 1.2270 1.4238 1.0598 0.4665
	कुल योग	10	7.3970
4	उँकारसिंह 1/3, नरपतसिंह 1/3, श्रवणसिंह 1/3 पुत्र बुधसिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार रहन बैक आफ बडौदा (नरपतसिंह व श्रवणसिंह) शामलाती रास्ता प्रयोग हेतु	32/1 32/12 35/2	0.0323 0.0243 0.0323
	कुल योग	3	0.0889

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उक्त सारणी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाख़िल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 27/08/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
उँकारसिंह पुत्र बुधसिंह जाति राजपूत निवासी हुणगांव खुर्द हाल धापी मार्बल रामदेवनगर बनाड रोड जोधपुर		1. नरपतसिंह 2. श्रवणसिंह पिसरान बुधसिंह 3. गुलाबकंवर पत्नी शेरसिंह पुत्री बुधसिंह जाति राजपूत निवासी पिचियाक तहसील बिलाडा 4. कैलाश कंवर पत्नी प्रतापसिंह पुत्री बुधसिंह जाति राजपूत निवासी नान्दडी रामदेवनगर जोधपुर 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा 6. सरकार जरिये सब रजिस्ट्रार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 46 / 2016

निर्णय **दिनांक :–** 27/08/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री नारायणसिंह सोढा अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर श्री रखाराम चौधरी एडवोकेट, प्रतिवादी सं. 3 व 4 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद चौहान एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 5 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

तीज — मुबलिग — बाबत् —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27/8/2024 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
.स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते